दिनांक–25.05.2026 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेराई सत्र 2026–27 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण हेतु ''गन्ना सर्वे ऐप'' से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– सभी क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट/कार्यरत चीनी मिलों के प्रतिनिधि एवं श्री पुरूषोत्तम कुमार, प्रोग्रामर, लॉजिकल वेव प्रा० लि० के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

पेराई सत्र 2026–27 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण हेतु ''गन्ना सर्वे ऐप'' से संबंधित समीक्षा की गयी।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि "गन्ना सर्वे ऐप" से की जा रही सर्वे में गन्ना का कुल 132 प्रभेद प्रदर्शित हो रहा है, जो cause of concern है। ईखायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ पर भी यह प्रभेद वास्तविक रूप से खेती की जा रही है, तो संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक एवं चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को गैर अनुशंसित प्रभेद के स्थान पर अनुशंसित 16 गन्ना प्रभेद की खेती करना सुनिश्चित करायें।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गन्ना आई.डी. के 17000 कृषकों का एवं बिना गन्ना आई.डी. के 84683 कृषकों का ही सर्वे हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि चीनी मिल के सर्वे टीम, महाप्रबंधक तथा ईख पदाधिकारी द्वारा सही रूप से समीक्षा नहीं किया जा रहा है, इसपर ईखायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।

ईखायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि गन्ना किसानों का गन्ना सर्वे किया जाय तथा ट्रान्सपोर्टर के नाम पर किसी भी गन्ना किसान का सर्वे नहीं किया जाय।

विष्णु सुगर मिल्स के प्रतिनिधि से पृच्छा की गयी कि आपके सभी प्रभेद निम्न प्रभेद में ही क्यो प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही आपके द्वारा API बंद कर दिया जा रहा है। इस पर विष्णु चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसे इसे देख लेता हूँ।

ईख पदाधिकारी, मोतिहारी को सुगौली चीनी मिल के 42 प्रभेद के संबंध में जाँच करने हेतु निदेश दिया गया है।

अंत में ईखायुक्त, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी को निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण की जाँच की जाय तथा डैसबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण/उचित निर्णय लिया जाय। सभी को निदेश दिया गया कि यथासमय सर्वेक्षण पूर्ण किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

27/5/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–02/2024–994/ई०उ०/पटना, दिनांक– 27 मई, 2026

प्रतिलिपि– ईख पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, ईख विकास/महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2026

ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः......2

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–02 / 2024– 997/ई०ख० / पटना, दिनांक– 27 मई, 2026

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक / श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट / श्री पुरूषोत्तम कुमार, प्रोग्रामर, लॉजिकल वेव प्रा० लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–02 / 2024– 997/ई०ख० / पटना, दिनांक– 27 मई, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/2026

ईखायुक्त, बिहार।